**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

**राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 103/2019(75/2017)**

**GCMS NO. : 2017/00082**

| –:: प्रार्थीगण ::– | बनाम | –:: अप्रार्थीगण ::– |
|---|---|---|
| 1. सत्यनारायण पुत्र गोपुराम | | 1. बस्ताराम पुत्र हापुराम |
| 2. सुरेश पुत्र गोपुराम | | 2. सुखाराम पुत्र हरीराम |
| 3. अमराराम पुत्र गोपुराम | | 3. बाबुलाल पुत्र हरीराम |
| 4. सीता देवी बेवा गोपूराम | | 4. शंकर पुत्र छोगाराम |
| जातियान मेघवाल (भांबी) निवासीगण लाम्बिया तहसील जैतारण। | | 5. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजू: 24/09/2019**

उपस्थितः. 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री हरीओम पारिक, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

**–:: निर्णय :** **दिनॉकः 31/03/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लाम्बिया पटवार हल्का लाम्बिया तहसील जैतारण में खसरा संख्या 1194 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा सेवज दोयम की कृषि भूमि आई हुई है । उपरोक्त कृषि भूमि सायलान् एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है जिसकी जमाबन्दी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रति मय अविभाजित कृषि भूमि का नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे प्रार्थनापत्र का एक महत्वपूर्ण भाग माना जावें। खसरा संख्या 1194 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा की कृषि भूमि सायलान् एवं गैरसायलान् के पिता परपिता छोगाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार काश्तकार के दर्ज रही है । छोगाराम के चार पुत्र हापुराम , शकरलाल , हरीराम , गोपीराम उर्फ गोपू है जो छोगाराम के पश्चात उपरोक्त कृषि भूमि के बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये गये । सायलान् गोपीराम उर्फ गोपू के वारिसान है जिनका इस कृषि भूमि मे 1/4 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार के राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है । उपरोक्त कृषि भूमि 35 बीघा [illegible] अविभाजित कृषि भूमि है जिस पर सायलान् एवं गैरसायलान् का [illegible] कब्जा है जिस पर काश्त करते है । सायलान् इस वर्ष अपने हिस्से की भूमि पर गेहूं की फसल बो रखी है उपरोक्त कृषि भूमि अविभाजित [illegible] अपने हिस्से की भूमि को अधिक उपजाउ नही बना सकते है तथा ना ही कृषि भूमि को उन्नत बनाने के लिये बैक से ऋण ले सकते है सायलान अपने पैतृक हिस्से की कृषि भूमि का बंटवाडा करवाने के लिये गैरसायलान् को दिनांक 01/03/2017 को कहा लेकिन गैरसायलान् ने बंटवाडा करने से स्पष्ट मना कर दिया । गैरसायलान् जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

कि संख्या में ज्यादा है स्पष्ट रूप से कहा कि इस जमीन का बंटवाडा नही होने देगे । गैरसायलान् इस बात को लेकर सायलान् के साथ मारपीट करने व हमला करने दिनांक 02/03/2017 को उनके रहवासी मकान पर भी गये थे तब पुलिस थाना आ.कालू दोनो पक्षो को पाबंद किया था। उपरोक्त कृषि भूमि जो अविभाजित है जिसे सायलान् बंटवाडा करवाना चाहते है सायलान् के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि मे सायलान् द्वारा काश्त किये जाने व काश्त से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य करने मे जो कि गैरसायलान् दखलन्दाजी बाधा कारित करना चाहते है तथा सायलान् द्वारा बोई गयी फसल मे दखलन्दाजी करते है इसलिये गैरसायलान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है। उपरोक्त कृषि भूमि जिसमे सायलान् का 1/4 हिस्सा है जो वर्तमान मे अविभाजित कृषि भूमि है जिसे सायलान् अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने के अधिकारी होने से तथा गैरसायलान् द्वारा बंटवाडा करने से मना कर देने से सायलान् के पास जरिये प्रार्थनापत्र बंटवाडा कराने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र बाबतृ बंटवाडा प्रस्तुत किया जा रहा है सायलान् को उनके 1/4 हिस्से को बाई टिस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा किया जाना कानूनन आवश्यक है सायलान के 1/4 हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा कर तथा नापचौप कर सायलान् के हिस्से की भूमि पर मुड्डा गड्डी मेडबंदी करवाया जाना कानूनन आवश्यक है तथा सायलान् के हिस्से की कृषि भूमि का तरमीम कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक है । उपरोक्त कृषि भूमि पर सायलान् का उसके पिता एवं परपिता के समय से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । कब्जे के आधार पर तथा पैतृक पुश्तैनी भूमि के आधार पर सायलान् के पास बंटवाडा के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नही है । उपरोक्त तथ्यो के आधार पर सायलान् का बहुत ही मजबुत प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी साबित है सायलान् की पैतृक कृषि भूमि का कानूनी रूप से बंटवाडा नही होता है तो सायलान् को असीम क्षति होगी । तथ्यो , परिस्थितियो एवं दस्तावेजो के आधर पर सायलान् का प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी साबित है गैरसायलान् का सायलान् के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि मे दखलन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें । अतः मय शपथपत्र प्रार्थनापत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन हैकि खसरा संख्या 1194 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा मे सायलान् के खातेदार काश्तकार तथा लगातार कब्जा काश्तहोने, सायलान् द्वारा वर्तमान मे [illegible] प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी साबित है गैरसायलान् द्वारा सायलान् के [illegible] के जाने वाली काश्त व सायलानृ द्वारा कब्जे हिस्से की कृषि [illegible] उपयोगी [illegible] फसल बोने के लिये उन्नत तरीके का उपयोग उपभोग की जाने वाली [illegible] को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के निर्णय तक रोके जाने का आदेश फरमाया जावे तथा जब तक उपरोक्त कृषि भूमि का कानूनी रूप से बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत इत्यादि करने से तथा सायलान् को

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

उनके हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें ।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 02 से 04 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनु0 रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या 1 का जवाब है कि उक्त फिकरे में वर्णित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1194 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा सेवज दोयम की कृषि भूमि ग्राम लाम्बिया तहसील जैतारण में स्थित है। मौके पर पूर्व में चुंदरी बंट के अनुसार गैरसायल संख्या एक कब्जा काश्त है। पैरा संख्या 02 का जवाब है कि उक्त फिकरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। पैरा संख्या 03 का जवाब है कि गैरसायलान संख्या एक उक्त आराजी की सहअभिधारी है। मौके पर वर्तमान में गैरसायल संख्या एक का कब्जा काश्त चला आ रहा है। बिना किसी उजर ऐतराज के शान्तिपूर्वक चीरभोगाधिकार संख्या एक के के बीच किसी प्रकार का झगडा नहीं हुआ है, झुठा वर्णित किया गया है। पैरा संख्या 04 का जवाब है कि सायलान की कृषि आराजी में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप गैरसायल संख्या एक ने नहीं किया। अतः सायलान अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त मुस्तेक नहीं है। पैरा संख्या 05 का जबाब है कि गैरसायल संख्यां एक के पिता व पूर्वजों ने चुंदरी बंट कर रखे थे। उस बन्ट के अनुसार गैरसायल संख्या एक मौके पर काबिज है अन्य फिकरा अस्वीकार है। पैरा संख्या 06 का जबाब है कि बंटवाडे की बात को लेकर प्रतिवादी संख्या एक ने न तो धमकिया दी और न ही किसी प्रकार की कोई सायलान के साथ मारपीट की झूठा बिनाय दावा व प्रार्थना –पत्र प्रस्तुत किया गया है। पैरा संख्या 07 का जबाब है कि उक्त फिकरा कानूनी है। जो गौर अदालत बाला के है, गैरसायल संख्या उप पंजीयन एवं तहसीलदार जैतारण को राज्य सरकार के नुमायन्दे है। इनके खिलाफ वाद पत्र पेश करने से पूर्व में दो का नोटिस देना मेण्डेटरी प्रावधान है। इसलिये उक्त प्रार्थना–पत्र को बेबुनियाद व गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जो उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चे व हर्जे के खारिज फरमाया जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार [illegible] विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टया मामला:– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2069–2072, ग्राम– लाम्बिया से भी

सहायक कलक्टर
( फास्ट ट्रैक ) जैतारण ( पाली )

इस तथ्य की पुष्टि होती है। यह मान्य सिद्धांत हे कि प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक हिस्से पर स्वामित्व एवं कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थी के पक्ष में ही प्रथम दृष्टया मामला है। लिहाजा यह बिन्दू बखूबी साबित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन :- साधारणतया वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दू संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी सामलाती भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्येक सहखातेदार का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः सुविधा के संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः- चुंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुए है। साथ ही चुंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थी/वादी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज़/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला-पाली(राज.)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:34:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक
जैतारण जिला-पाली(राज.)